



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072025-264463
CG-DL-E-08072025-264463

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2919]
No. 2919]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2025/आषाढ़ 12, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2025/ASHADHA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2025

का.आ. 2986(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 जी के उपधारा (5) के अनुसरण में, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को, उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए इतद्वारा मध्य स्थनियुक्त करती है जो उक्तसारणी के कॉलम (3) और(4) में यथा-विनिर्दिष्ट अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत मध्यस्थ को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेगा। मध्यस्थ द्वारा पंचात करते समय इस अधिनियम की 3 जी की उपधारा (6) और (7) को ध्यान में रखा जाएगा।

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम	राजस्व जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट	• छोटाउदेपुर	गुजरात
2	कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट	• भरुच	गुजरात

3	कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट	• तापी	गुजरात
4	कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट	• सूरत	गुजरात
5	कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट	• नवसारी	गुजरात
6	कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट	• वलसाड	गुजरात

[फा. सं. Bodeli-Vapi-2022/ARB/2025]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd July, 2025

S.O. 2986(E).—In pursuance of sub-section (5) of Section 3G of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (2) of the Table below, to be Arbitrator for the purpose of the said sub-section, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on an Arbitrator by or under the said Act within the local limits of his respective jurisdiction as specified in column (3) and (4) of the said Table. Sub – Section (6) & (7) of Section – 3G of the Act shall be taken into consideration while passing awards by the Arbitrator.

Table

Sl. No.	Designation of the Officer	Revenue District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Collector & District Magistrate	• CHHOTAUDEPUR	GUJARAT
2	Collector & District Magistrate	• BHARUCH	GUJARAT
3	District Magistrate & Collector	• TAPI	GUJARAT
4	Collector & District Magistrate	• SURAT	GUJARAT
5	Collector & District Magistrate	• NAVSARI	GUJARAT
6	District Magistrate & Collector	• VALSAD	GUJARAT

[F. No. Bodeli-Vapi-2022/ARB/2025]

SHAIKH AMINKHAN, Director